

फर्द अहकाम


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गोविन्दगढ जिला अलवर

..... बनाम.....
 यश कुमार रामप्रियम
 प्रकरण सं. 2154/2015 तारीख रजू. 23.06.15

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ
------------	---------------------------------	---------------------------------

23.06.15

वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया गया। प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 दर्ज रजिस्ट्रर हो। अप्रार्थीगण/ गैरसायलान को जर्ये रजिस्टर्ड डाक नोटिस तलब हो। पत्रावली वास्ते तलवी दिनांक 30.6.15 को पेश हो।


 उपखण्ड अधिकारी
 गोविन्दगढ(अलवर)

30.6.15

पत्रावली पत्र हुका वक्राव पत्रावली आरंभित।
 आरंभित संख्या 3 वाकपुत्र वक्राव के अन्तर्गत।
 वक्राव पत्रावली एक पक्षीय आरंभित आरंभित में
 जारी जारी है। पत्रावली वास्ते तलवी आरंभित
 संख्या 1,2 हेतु दिनांक 11.7.25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
 गोविन्दगढ (अलवर) राज०

11-07-25

पत्रावली पेश। P.O. साहब.....
 काम में व्यवस्त है।
 पत्रावली दिनांक 29-7-25 को पेश हो।


 रीडर

29-7-25

पत्रावली पेश। P.O. साहब.....
 काम में व्यवस्त है।
 पत्रावली दिनांक 26-8-25 को पेश हो।


 रीडर

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो
जारी हुआ

27.8.25

Note
press

Any

पत्रावली मूल वाद के साथ आज पेश
हुई वहील सार्थी उपस्थित। वहील सार्थी
ने पत्रावली NOT PRESS कर रही स्तर
पर खारिज/decree करने वास्तव निर्णय किया
है। हमने पत्रावली का अपलोकन किया/अतः
पत्रावली वहील सार्थी के NOT PRESS करने
पर इसी स्तर पर खारिज/decree की
जाती है। पत्रावली के माल शूमाट होकर
नम्बर ले कम हो। बाद तकमील पत्रावली
मूल वाद के साथ संलग्न है।


उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०